राजस्थान सरकार

आयुक्तालय, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर

कमांक–प.(वि)प्रशा0/आकाशि /सम्पर्क /2019/6003 दिनांकः– 9.12.2019

परिपत्र

विषयः– सम्पर्क पोर्टल पर प्राप्त परिवेदनाओं के निस्तारण हेतु त्वरित कार्यवाही हेतु।

उपर्युक्त विषयान्तर्गत सम्पर्क पोर्टल पर प्राप्त परिवेदनाओं के निस्तारण के संबंध में प्राथमिकता के साथ त्वरित कार्यवाही करने हेतु निम्न दिशा निर्देश तुरंत प्रभाव से जारी किये जाते है–

1. सम्पर्क पोर्टल पर ग्रीवन्स–निस्तारण कार्यवाही प्रत्येक महाविद्यालय के प्राचार्य द्वारा सतत रूप से सुनिश्चित की जाये।
2. विभागीय सम्पर्क पोर्टल के अंतर्गत स्तर – 1 पर प्रत्येक महाविद्यालय के प्राचार्य की निजी Activated SSO-ID लिंक होना अनिवार्य है।
3. विभागीय सम्पर्क पोर्टल Dashboard पर महाविद्यालयवार प्राचार्य स्वयं की निजी SSO-ID का व्यक्तिशः Activation सुनिश्चित करें । जिनकी SSO-ID Activated ना हो, वे निम्नानुसार ऑनलाईन कार्यवाही करें।

• SSO-ID अपने पासवर्ड से Log-in करें। • Profile Edit पर क्लिक करें। • पूरी Profile Check करें।	• निजी ईमेल व मोबाईल नं0 feed करें। • Link करने हेतु अपने ई–मेल पर आये OTP को Submit करें।

4. किसी प्रकार के Updation की आवश्यकता होने पर तत्काल बदलाव कार्यवाही अपने स्तर से अविलम्ब पूर्ण करावे ।
5. सम्पर्क पोर्टल के विभागीय Dashboard पर अनिवार्यतः एक SSO-ID केवल एक ही स्थान पर मैप की जा सकेगी।
6. ज्ञातव्य रहे कि प्राचार्य पद रिक्त होने पर ही कार्यवाहक प्राचार्य द्वारा महाविद्यालय के सम्पर्क पोर्टल पर कार्यवाही संचालित होगी।
7. प्रत्येक संभाग पर सहायक निदेशक, क्षेत्रीय कार्यालयों से अपने SSO-ID से सम्पर्क शिकायतों का सूक्ष्म परीक्षण करेंगे। सभी शिकायतों का समाधान/निष्पादन नियमित रूप से पूर्ण कराने का दायित्व स्तर – 2 पर रहेगा।
8. आयुक्तालय स्थित अनुभाग प्रभारी (वित्तीय सलाहकार, संयुक्त निदेशक – आयोजना/ रूसा / आरवीआरईएस /अकादमी / एचआरडी /निजी संस्थाएं / प्रशासन / आई. टी.) स्तर – 3 पर शिकायत के विषय, प्रार्थी के संवाद व पूर्व कार्यवाही प्रक्रिया विवरण का गहनता से विश्लेषण करते हुये समस्त अग्रेषित परिवेदनाओं पर अंतिम विभागीय कार्यवाही सम्पादित करेंगे।
9. किसी भी स्तर पर परिवेदनाओं के निस्तारण में विलम्ब होने की स्थिति में संबंधित स्तर के अधिकारियों को जिम्मेदार मानते हुये स्पष्टीकरण मांगा जावेगा।

सभी स्तर के अधिकारीगण उक्त दिशा–निर्देशों की अक्षरशः पालना सुनिश्चित करें।

(प्रदीप कुमार बोरड़)IAS
आयुक्त
कॉलेज शिक्षा एवं विशिष्ट शासन सचिव,
उच्च शिक्षा विभाग, राज0 जयपुर।

कमांक–प.(वि)प्रशा0/आकाशि /सम्पर्क /2019/6003 दिनांकः– 9.12.2019

प्रतिलिपि – निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है –

1. वित्तीय सलाहकार, आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।
2. संयुक्त निदेशक, आयोजना/ रूसा / आरवीआरईएस /अकादमी / एचआरडी /निजी संस्थाएं / प्रशासन / आई. टी. आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।
3. समस्त प्राचार्यगण, राजकीय महाविद्यालय/विधि महाविद्यालय /कन्या महाविद्यालय / राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट्स /राजस्थान संगीत संस्थान, कॉलेज शिक्षा राजस्थान जयपुर।
4. सहायक निदेशक, क्षेत्रीय कार्यालय कॉलेज शिक्षा, जयपुर /कोटा/जोधपुर/अजमेर/ बीकानेर/ उदयपुर / भरतपुर
5. वेब साईट प्रभारी, आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा, जयपुर को अपलोड करवाने हेतु प्रेषित है।
6. रक्षित पत्रावली।

9.12.19

संयुक्त निदेशक (प्रशासन)
कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।